जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 73/2018 (RCMS 2018/00141) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री भजनलाल पुत्र केशराराम, ग्राम धरमसिंहवावला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2. श्री कश्मीरी लाल पुत्र श्री हुकमाराम ग्राम तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनेष कुमार बिश्नोई उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1. श्री भजनलाल पुत्र श्री केशराराम को ऋण सुविधा के रूप में 2,89,000/—रूपये (अखरे रूपये दो लाख नवासी मात्र) दिनांक 08.05.2015 को ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी भजन लाल द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान ग्राम धरमसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी को नाम दिनांक 02.08.2018 को 75923/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 03.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जारी किया गया। नोटिस प्राप्तिं के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री भजन लाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज मे प्रार्थी बैक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान ग्राम धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर (क्षेत्रफल 30′ गुणा 90′) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाये।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी श्री भजन लाल को दिनांक 08.05.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 2,89,000/—(अखरे रूपये दो लाख नवासी हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी भजनलाल द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान ग्राम धरमसिंहवाला तहसील सादुलशहर (30′गुणा90′) जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी है और इनके अतिरिक्त श्री कशमीरी लाल पुत्र हुकमाराम द्वारा भी अपनी गारंटी दी गई है **किन्तु बैंक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 में गांरटर के विरूद्ध कोई राहत नही चाही है।** प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 29.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया और बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2018 को बकाया राशि 75,923/— रूपये वसूली करने के लिए 60 दिवस का रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति आवासीय मकान स्थित ग्राम धरमसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगागनर जो ऋणी श्री भजन लाल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है और जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। **इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के नोटिस जो ऋणी श्री भजन लाल एवं गांरटर कशमीरी लाल को जारी किये गये है की तामील का प्रश्न है **नोटिस जारी करने सम्बन्धी पोस्ट ऑफिस की रसीदे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं गई है** एवं जो रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद प्रस्तुत की गई है वह ऋणी श्री भजन लाल के नाम से जारी की गई है, जो सुमन पर तामील हुई है, जिसे ऋणी श्री भजन लाल पर तामील होना नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार **गारंटर श्री कश्मीरी लाल को भी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने सम्बन्धी कोई ए.डी. रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है।** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2002 के तहत बने नियमों के नियम—3 के अन्तर्गत **धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी स्वयं पर या उसकी ओर से अधिकृत अभिकर्ता पर होनी आवश्यक है।** इसप्रकार उक्त ऋणी/ गारंटर पर धारा 13(2) के नोटिस की **तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नहीं किया जा सकता** जब तक उक्त ऋणी एवं गारंटर पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि **वह ऋणी/गारंटर को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के पुनः नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत् व उचित प्रक्रिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर